1	2	3	4	5	6	7
26.	A. & N. Islands	3.7	2.9	1.6	0.2	0.2
27.	Chandigarh	44.4	21.7	20.7	3.3	—
28.	D. & N. Haveli	0.9	0.2	0.2	@	@
29.	Delhi	273.4	170.9	203.8	20.0	15.5
30.	Daman and Diu	0.9	0.2	0.3	0.1	@
31.	Lakshadweep	1.6	@	@	@	—
32.	Pondicherry	48.8	12.4	9.0	1.5	1.8
Total		13123.8	5589.5	3432.3	441.0	356.1

Note:—* No Employment Exchange is functioning in this state

@ Less than fifty.

— Nil

Figures may not tally due to rounding off.

लघु और कुटीर उद्योगों में श्रमिक

2091. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में लघु और कुटीर उद्योग कार्यरत हैं और इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनकी अनुमानित संख्या कितनी है और क्या उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) लघु उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग 30.14 लाख है, जिनमें मजदूरों सहित लगभग 167.2 लाख व्यक्ति नियोजित हैं। संगठित तथा असंगठित - दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण हेतु कई कानून अधिनियमित किए हैं। ऐसे कुछ कानूनों के नाम हैं :— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; समाज पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; का श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम, 1970; बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976; बीड़ी व सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; अन्तर्राज्यिक आप्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 तथा भवन व अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 राज्य सरकारों ने भी बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यकलापों में बड़ी संख्या में लगे कामगारों को शामिल किया गया है। असंगठित कामगारों के नियोजन की गुणवत्ता तथा कार्यदशाओं में सुधार का मुद्दा सरकार की खास चिंता का विषय बना हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

2092. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी राशि निश्चित की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि असंगठित श्रमिकों के कारण और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में विभिन्न क्षेत्रों में यह न्यूनतम मजदूरी भी श्रमिकों को नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति में सुधार करने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के दायरे के अधीन आने वाले अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के